उत्तर प्रदेश सरकार
विद्युत विभाग
अधिसूचना
प्रकीर्ण.
24 अप्रैल, 1974 ई0

स0 4291-ई-73/23-पी0(3)-01-एस-56-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके तथा इस विषय पर वर्तमान समस्त नियमों तथा आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा के पदों पर तथा उन पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा भर्ती की विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा
नियमावली, 1974
भाग 1-- सामान्य

1--संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ--(1) यह नियमावली विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा नियमावली, 1974 कहलायेगी ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

2-- सेवा की प्रास्थिति--विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा एक अधीनस्थ अराजपत्रित सेवा है जिसमें श्रेणी 3 के पद अन्तर्विष्ट है ।

3-- परिभाषाएं--जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में--

(क) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो संविधान के भाग 2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ।

(ख) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ।

(ग) "सीधी भर्ती" का तात्पर्य इस नियमावली के भाग 5 में यथा व्यवस्थित भर्ती से है ।

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत के संविधान से है ।

(ङ) "विद्युत निरीक्षक" का तात्पर्य मुख्य विद्युत निरीक्षक, उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है ।

(छ) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ।

(ज) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली के अधीन या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त व्यक्ति से है ।

(झ) "सेवा" का तात्पर्य विद्युत निरीक्षणालय अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा से है ।

क्रमशः पृष्ठ दो पर

Scanned with OKEN Scanner

4--सेवा के पदों की सख्या--(1) सेवा के पदों और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी राज्यपाल द्वारा समय समय पर अवधारित की जाय ।

(2) सेवा के पदों और उसमें प्रत्येक श्रेणी के स्थायी पदों की सख्या जब तक कि उपनियम (1) के अधीन उनमें परिवर्तन करने के आदेश न दे दिये जाये, निम्नलिखित होगी --

(1) विद्युत अवर अभियन्ता	:	31
(2) विद्युत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर)	..	11

प्रतिबन्ध यह है कि --

(क) विद्युत निरीक्षक किसी रिक्त पद को खाली छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे अस्थगित रख सकते हैं, परन्तु इस हेतु कोई भी व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, और

(ख) राज्यपाल समय समय पर ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जो आवश्यक समझे जायें ।

भाग 3--भर्ती

5- भर्ती के स्रोत--(1) विद्युत अवर अभियन्ता के पद पर भर्ती सीधे आयोग द्वारा की जाएगी ।

(2) विद्युत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पद पर भर्ती स्थायी विद्युत ओवरसियर की पदोन्नति द्वारा की जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि किसी विशेष चयन के समय आवश्यक संख्या में स्थायी विद्युत अवर अभियन्ता उपलब्ध न हों तो विद्युत अवर अभियन्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष की लगातार सेवा वाले अस्थायी विद्युत अवर अभियन्ताओं का भी अस्थायी रिक्तियों में पदोन्नति करने के सम्बन्ध में विचार किया जा सकता है ।

6- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों आदि के लिए आरक्षण--सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, विकलांग सैनिक कर्मचारियों, शरीरत: असमर्थ व्यक्तियों तथा स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के लिए आरक्षण समय-समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार होगा ।

भाग 4--अर्हताएं

7--राष्ट्रीयता--सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का--

(क) भारत का नागरिक, या

(ख) सिक्किम की प्रजा या,

(ग) तिब्बती शरणार्थी, जो 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत

क्रमश: पृष्ठ --3X

में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से भारत में आया हो, या

(घ) भारतीय उद्भव का व्यक्ति, जिसने पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रिकी देशों जैसे केनिया, उगान्डा तथा तन्जानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जन्जीबार) से भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से प्रव्रजन किया हो,

होना आवश्यक है :

प्रतिबन्ध यह है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग) या (घ) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो,

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है कि श्रेणी (ग) के अभ्यर्थी को भी उप-महानिरीक्षक गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (घ) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए जारी नहीं किया जायगा, और ऐसा अभ्यर्थी एक वर्ष की अवधि के पश्चात् सेवा में तभी रहने दिया जा सकता है, जबकि यह भारत का नागरिक हो जाय ।

टिप्पणी-- ऐसे अभ्यर्थी को, जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, आयोग या किसी अन्य भर्ती करने वाले प्राधिकारी द्वारा संचालित साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है और इसे इस शर्त पर अस्थायी से नियुक्त भी किया जा सकता है कि वह या तो आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले या वह उसके पक्ष में जारी किया जाय ।

8--आयु-- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु यदि पद का विज्ञापन । जनवरी तथा 30 जून के मध्य किया जाय तो । जुलाई को और यदि उक्त पद का विज्ञापन । जुलाई तथा 31 दिसम्बर के मध्य किया जाय तो अगले वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष अवश्य होनी चाहिए परन्तु 27 वर्ष की आयु पूरी न करनी चाहिए ।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष अधिक होगी ।

अग्रेतर प्रतिबन्ध यह है किसरकार आयोग के परामर्श से किसी अभ्यर्थी या किसी वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में अधिकतम आयु-सीमा को शिथिल कर सकती है, यदि वह इसे न्यायोचित व्यवहार या लोकहित में आवश्यक समझे ।

क्रमशः पृष्ठ चार पर

9-- शैक्षिक अर्हताएं-- विद्युत अवर अभियन्ता के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं होनी चाहिए ।

§1§ सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी विश्वविद्यालय या संस्था से विद्युत अभियन्त्रण में डिप्लोमा ।

§2§ सरलापूर्वक देवनागरी लिपि में हिन्दी पढ़ने तथा लिख सकने की योग्यता ।

10-- अधिमान्य अर्हताएं -- सेवा में सीधी भर्ती के मामले में अन्य बातों के समान होने पर, उस अभ्यर्थी को अधिमान्य दिया जायगा--

§1§ जिसने प्रादेशिक सेना में कम सेकम दो वर्ष सेवा की हो, अथवा

§2§ जिसने नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाणपत्र प्राप्त किया हो ।

11-- चरित्र-- सेवा में भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र अवश्य ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह सेवा में सेवायोजन हेतु सभी प्रकार से उपयुक्त हो । विद्युत निरीक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि वह इस संबंध में अपना समाधान कर लें ।

टिप्पणी-- संघ सरकार अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या सरकारी निगम या सरकारी निकाय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र समझा जायगा ।

12-- वैवाहिक प्रास्थिति-- कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो अथवा कोई महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो, सेवा में भर्ती के लिए पात्र न होगा ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है तो वे किसी भी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकते हैं ।

13--शारीरिक स्वस्थता-- कोई भी अभ्यर्थी सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायगा जब तक कि वह मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ न हो और किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो जिसे अपने कर्त्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । किसी ऐसे अभ्यर्थी को, जो पहले से सरकारी अस्थायी सेवा में न हो, अन्तिम रूप से सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह फण्डामेन्टल रूल 10 के अधीन निर्मित और फाइनेन्सियल हैन्ड बुक, खण्ड 2, भाग 2 के अध्याय में निहित नियमों के अनुसार स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे ।

भाग 5--सीधी भर्ती की प्रक्रिया

14-- सीधी भर्ती की प्रक्रिया--§1§ जब कभी विद्युत अवर अभियंता के पद की रिक्तियों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा करना अपेक्षित हो तो

क्रमशः पृष्ठ पोंच पर

विद्युत निरीक्षक ऐसी रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और तद्नुसार आयोग को सूचित करेगा । वह उसी समय नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अन्य लोगों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की, यदि कोई हो, संख्या आयोगको सूचित करेगा ।

(2) आयोग उपयुक्त अभ्यर्थियों से, आयोग के सचिव से भुगतान करने पर प्राप्य विहित प्रपत्र में आवेदन-पत्र आमंत्रित करेगा । आयोग प्राप्त आवेदन-पत्रों की परिनिरीक्षा करेगा और नियम 6 के अधीन आरक्षण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलायेगा जो अर्ह हों, और जो शैक्षिक उपलब्धियों को देखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए प्रथम दृष्टि में उचित प्रतीत हों ।

(3) साक्षात्कार के परिणाम के आधार पर आयोग उन अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिन्हें वह सर्वाधिक उपयुक्त समझे । चुने गये अभ्यर्थियों के नाम अधिमान क्रम में रखे जायेंगे । चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की अपेक्षा कुछ अधिक होगी । आयोग विद्युत निरीक्षक को सूची अग्रसारित करेगा ।

15--फीस-- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी आयोग को उतनी फीस भुगतान करेंगे जितनी राज्यपाल द्वारा समय-समय पर विहित की जाय । फीस की वापसी के लिए सामान्यतया कोई बाधा स्वीकार नहीं किया जायगा ।

टिप्पणी :--इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त फीस का सानुक्रम परिशिष्ट "क" में दिया गया ।

16--विद्युत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया-- विद्युत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती के प्रयोजनार्थ आयोग व्यक्तियों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन नियम (2) के अधीन पात्र विद्युत अवर अभियन्ताओं में से आयोग द्वारा किया जायगा । चयन सरकार द्वारा बनाये गये सामान्य नियमों के अनुसार जिनमें आयोग के परामर्श से चयन द्वारा पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित की गयी हो, किया जायगा ।

टिप्पणी -- नियम, जिनमें आयोग के परामर्श से पदोन्नति की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है, और जो इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत्त हों, परिशिष्ट "ख" में दिये गये हैं ।

भाग 7--नियुक्ति, परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

17--नियुक्ति--(1) विद्युत निरीक्षक की रिक्तियाँ होने पर, विद्युत अवर अभियन्ता के पद पर, अभ्यर्थियों की उसी क्रम से जिस क्रम में

क्रमशः पृष्ठ छः पर

वे नियम 14(3) के अधीन तैयार की गयी सूची में हों, नियुक्त करेगा ।

(2) विद्युत निरीक्षक उसी प्रकार, नियम 16 में अभिदिष्ट नियमों के उपबन्धों के अनुसार विद्युत पर्यवेक्षक (सुपरवाइजर) के पद पर नियुक्तियां करेगा ।

(3) विद्युत निरीक्षक अस्थायी तथा स्थानापन्न रिक्तियों में भी नियुक्तियां करेगा, जैसाकि उपनियम (1) तथा (2) में व्यवस्था की गयी है ।

18--ज्येष्ठता-- सेवा में प्रत्येक श्रेणी के पदों पर ज्येष्ठता मौलिक रूप से नियुक्त किये जाने के आदेश के दिनांक से अवधारित की जायगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि दो या उससे अधिक अभ्यर्थी एक ही दिनांक को नियुक्त किये जायें तो उनकी परस्पर ज्येष्ठता उस क्रम से अवधारित की जायगी जिस क्रम में उनके नाम उक्त आदेश में आये हों ।

टिप्पणी-- सीधी भर्ती वाला कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि वह बिना वैध कारणों के उस समय, जिस समय उसे किसी रिक्त स्थान पर कार्य ग्रहण करने का प्रस्ताव किया जाय, सेवा में कार्य ग्रहण न करे । कारण वैध है या नहीं इसका निर्णय विद्युत निरीक्षक द्वारा किया जायगा ।

19--परिवीक्षा--(1) समस्त व्यक्ति, सेवा में मौलिक रिक्ति में या उसके प्रति नियुक्त किये जाने पर दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रखे जायेंगे ।

(2) सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर अस्थायी या स्थानापन्न रूप से की गई लगातार सेवा की परिवीक्षाअवधि की गणना करने में विचार किया जायगा ।

(3) विद्युत निरीक्षक, उन कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे परिवीक्षा अवधि को पृथक-पृथक मामले में सामान्य तथा एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकता है । इस प्रकार बढ़ाई गयी अवधि के ऐसे किसी आदेश में यह ठीक दिनांक निर्दिष्ट होगा जब तक के लिए अवधि बढ़ाई जाय ।

(4) यदि परीक्षीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा अवधि के दौरान या उसके अन्त में किसी समय यह प्रतीत हो कि यदि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है अथवा वह अपने कार्य सम्बन्धी कर्त्तव्यों का पालन सन्तोषजनक रूप से करने में असमर्थ हो रहा है तो वह अपने मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है अथवा यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है ।

क्रमशः पृष्ठ-7 -पर

{5} कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति, जिसकी सेवायें उपनियम {4} के अधीन समाप्त कर दी जायें, किसी प्रतिकर का हकदार नही होगा ।

20- स्थायीकरण--परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा अवधि के अन्त में उसके पद पर स्थायी कर दिया जायगा, यदि उसका कार्य सन्तोषजनक पाया जाय और विद्युत् निरीक्षक उस पद पर उसके कृत्यों के आधार पर स्थायीकरण के लिए उसे उपयुक्त समझे और उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की जाय ।

भाग 8--वेतन

21- वेतन--सेवा के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी रूप में, अनुमन्य वेतनमान वही होगा जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय । इस नियमावली के प्रारम्भ होने के समय प्रवृत वेतन-मान निम्नलिखित है :-

{1} विद्युत अवर अभियन्ता रू0 300-8-340 द0रो0-10-440-द0रो0-12-500

{2} विद्युत् पर्यवेक्षक { सुपर वाइजर } रू0 400-15-475-द0रो0-20-575-द0रो0-25-750

22- परिवीक्षा अवधि में वेतन--{1} फन्डामेन्टल रूल्स में किन्ही प्रतिकूल उपलब्धों के होते हुए भी, किसी परिवीक्षाधीन व्यकित को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में नही है, परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रयोज्य वेतनमान में वेतन वृद्धियां जब कभी वे प्रोद्भूत हों, इस शर्त पर मिलेंगी कि उसका कार्य संतोषजनक बताया जाय ।

प्रतिबन्ध यह है कि यदि परिवीक्षा अवधि संतोष जनक रूप से कार्य न कर सकने के कारण बढ़ायी जाय तो बढ़ायी गयी अवधि के गणना वेतनवृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे ।

{2} परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का, जो पहले से स्थायी सेवा में हो, वेतन नियम 25 में अभिदिष्ट संगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

23- दक्षता- रोक पार करना--सेवा के किसी सदस्य को तब तक दक्षता रोक पार करने न दिया जायगा जब तक उसने अपने कार्य को दृढ़ता से तथा

क्रमश: पृष्ठ आठ पर

Scanned with OKEN Scanner

अपनी पूरी योग्यता से न किया हो, और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग 9--अन्य उपबन्ध

॥24॥-- पक्ष समर्थन-- इस नियमावली के अधीन भर्ती के लिए अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्ही भी सिफारिशों पर, चाहे वे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से, प्रत्यक्ष रूप या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अभ्यर्थिता के लिए अन्य उपायों द्वारा समर्थन प्राप्त का कोई प्रयास उसेअनर्ह कर देगा ।

॥25॥-- अवशिष्ट विषय--ऐसे विषयों के संबंध में जो इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत विशिष्टतया न आते हो, सेवा में व्यक्ति ऐसे नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जो उत्तर प्रदेश के कार्यकलापों के संबंध में कार्य करने वाले सरकारी सेवकों पर सामान्यतया प्रयोज्य होते हों ।

॥26॥-- सेवा की शर्तों में शिथिलता -- यदि राज्यपाल का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कष्ट होता है तो वे उस मामले प्रयोज्य नियमों में दी गयी किसी बात के होते हुए भी आदेश

द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को , उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जिन्हें वे उस मामले को ठीक और उचित ढंग से निपटाने के लिए आवश्यक समझें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकते है ।

आज्ञा से,
लाल बिहारी तिवारी
सचिव,
विद्युत विभाग

परिपत्र "क"
॥ नियम 15 देखिये ॥

उत्तर प्रदेश विद्युत अभियंत्रण॥विद्युत निरीक्षणालय॥ अधीनस्थ अभियन्त्रण सेवा में चयन के लिए अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस ।

अभयर्थियों से आयोग को निम्नलिखित फीस का भुगतान करने की अ की जाती है :-

क्रमशः पृष्ठ नौ प

आवेदन फीस सभी अभ्यर्थियों के लिये	9 रूपये
साक्षात्कार फीस-सामान्य अभ्यर्थियों के लिये ।	13 रूपये
अनुसूचित जातियों/ जन-जातियों के लिये	4 रूपये

॥ प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित--॥

एम0श्री0
24/5